न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बागपत।

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मीनू शर्मा , (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code UP 5951

UPBG010015492022

Sessions Case/365/2022

1– उ०प्र० राज्य

अभियोजक।

बनाम

1– **आकाश** पुत्र ब्रहमा, निवासी ग्राम पाबला बेगमाबाद, हाल निवाासी मौहल्ला जान एन्कलेव बडौत रोड, बागपत।

2– **मनोज** पुत्र वेदपाल, निवासी ग्राम हेवा, थाना छपरौली, जिला बागपत।

3– **संजीव उर्फ काला** पुत्र सुरेशपाल, निवासी ग्राम हेवा, थाना छपरौली, जिला बागपत।

अभियुक्त।

मु०अ०सं०–1081/21

धारा– 364, 302/34, 201 भा०दं०सं०

थाना–बागपत, जिला बागपत।

निर्णय

1– अभियुक्त **आकाश, मनोज व संजीव उर्फ काला** के विरूद्ध थाना बागपत, जिला बागपत की पुलिस द्वारा अपराध संख्या 1081/21, अन्तर्गत धारा 364, 302, 201, 34 भा०दं०सं० में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत के न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिनके द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनॉकित 05–04–2022 द्वारा विचारण हेतु श्रीमान सत्र न्यायाधीश, बागपत के न्यायालय को सुपुर्द किया गया। तदोपरान्त श्रीमान सत्र न्यायाधीश, बागपत के आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत सत्र परीक्षण की पत्रावली अंतरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2– **संक्षेप** में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा मोनू पुत्र श्री तेजपाल, निवासी बडौत रोड बागपत, थाना बागपत, जिला बागपत ने टाईपशुदा तहरीर दिनांक 10–11–2021 को थानाप्रभारी, कोतवाली बागपत, जिला बागपत को इस आशय का दिया कि ''दिनांक 08–11–2021 को समय करीब 1:30 बजे दोपहर को प्रार्थी

Digitally signed by MEENU SHARMA
Date: 2025.05.20 10:54:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के भाई रविन्द्र को आकाश पुत्र ब्रहमा निवासी मौ० ज्ञान एन्कलेव बडौत रोड, बागपत व इसके मामा जिसका नाम प्रार्थी को पता नहीं जो निवासी बडौली, जिला बागपत का है, ने सरूरपुर कलॉ, थाना बागपत, जिला बागपत बुलाया तथा उसके बाद प्रार्थी का भाई रविन्द्र उक्त के कहने के अनुसार सरूरपुर कला ठेके पर आ गया तथा पहले तो प्रार्थी के भाई रविन्द्र को शराब पिलायी। उसके बाद प्रार्थी के भाई को अगवा कर लिया तथा प्रार्थी का भाई आज तक घर वापस नहीं आया। प्रार्थी ने अपने भाई को काफी तलाश किया परंतु कोई पता नहीं चला है तथा मेरे भाई को ले जाते हुये छोटू पुत्र बालू, निवासी मण्डी बागपत ने देखा है।''

3– वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उपरोक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–1081/2021, अन्तर्गत धारा 363 भा०दं०सं०, थाना बागपत, जनपद बागपत में दिनॉक 11–11–2021 को समय 12:32 बजे अभियुक्त आकाश व आकाश के मामा नाम नामालूम के विरूद्ध पंजीकृत हुआ, जिसका खुलासा जी०डी० में किया गया। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना साक्ष्य संकलित किया गया तथा दौरान विवेचना नामजद अभियुक्त आकाश के अतिरिक्त मनोज व संजीव उर्फ काला का नाम प्रकाश में आने व अपराध में संलिप्तता पाते हुये बाद विवेचना अभियुक्तगण आकाश, मनोज व संजीव उर्फ काला के विरूद्ध विचारण हेतु आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 364, 302, 201, 34 भा०दं०सं० में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत के न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान लिया गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा अपने आदेश दिनॉकित 05–04–2022 के द्वारा उक्त आपराधिक वाद को विचारण हेतु श्रीमान सत्र न्यायाधीश, बागपत के न्यायालय को सुपुर्द किया गया। तदोपरान्त श्रीमान सत्र न्यायाधीश, बागपत के आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत सत्र परीक्षण की पत्रावली अंतरण द्वारा न्यायालय को प्राप्त हुई।

4– अभियुक्तगण आकाश, मनोज व संजीव उर्फ काला के न्यायालय में उपस्थित आने पर दिनॉक 30–11–2022 को सत्र न्यायाधीश, बागपत द्वारा आरोप अन्तर्गत धारा 364, 302/34, 201 भा०दं०सं० में विरचित किया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी०डब्लू–1 मोनू, पी०डब्लू० 2 सोनू, पी०डब्लू० 3 धन्नू, पी०डब्लू० 4 डॉ० हरीश कुमार, पी०डब्लू० 5 छोटू, पी०डब्लू० 6 एच०सी० अनिल कुमार, पी०डब्लू० 7 निरीक्षक तपेश्वर सागर, पी०डब्लू० 8 एस०आई० सचिन कुमार को परीक्षित कराया गया है।

6– दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में साक्षी पी०डब्लू०–1 मोनू ने तहरीर को प्रदर्श क 01 के रूप में, पी०डब्लू० 2 सोनू ने पंचायतनामा को प्रदर्श क 02 के रूप में, पी०डब्लू04 डॉ० हरीश कुमार ने पुलिस प्रपत्रों को प्रदर्श क 03 लगायत प्रदर्श क 07

तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क 08 के रूप में, पी०डब्लू6 एच०सी० अनिल कुमार ने चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क 09 एवं जी०डी० को प्रदर्श क 10 के रूप में, पी०डब्लू० 7 निरीक्षक तपेश्वर सागर ने आरोपपत्र को प्रदर्श क 11 के रूप में, पी०डब्लू० 8 एस.आई. सचिन कुमार ने नक्शा नजरी को प्रदर्श क 12, मृतक की लाश व गमछा बरामदगी सम्बन्धित नक्शा नजरी को प्रदर्श क 13, फर्द बरामदगी को प्रदर्श क 14, गमछे को वस्तु प्रदर्श 01 के रूप में साबित किया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गाजियाबाद की रिपोर्ट दिनांकित 07–02–2024 भी पत्रावली पर उपलब्ध है।

7– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त संजीव उर्फ काला ने अभियोजन कथानक को गलत बताया, गवाहों द्वारा झूठा व गलत बयान देना कहा। विवेचक द्वारा गलत विवेचना करना कहा। सफाई साक्ष्य पेश करने से इंकार किया तथा कहा कि ''मैं निर्दोष हूॅ। मुझे मामले में झूठा फंसाया गया है।'' अभियुक्त मनोज ने भी अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा गवाहों द्वारा दिये गये बयान को गलत व झूठा बताया। विवेचक के द्वारा गलत विवेचना करना कहा तथा यह कहा कि ''मैं निर्दोष हूॅ। मैनें कोई लाश बरामद नहीं करायी। पुलिस ने मुझे इस मामले में गलत फसाया है। वादी मुकदमा को मैं नहीं जानता।'' अभियुक्त आकाश ने भी अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा गवाहों द्वारा दिये गये बयान को गलत व झूठा बताया। विवेचक के द्वारा गलत विवेचना करना कहा तथा यह कहा कि ''मैं घटना के समय अंकलेश्वर (गुजरात) में था। साक्षी धन्नू से मेरा चुनावी मतभेद था। मुझे झूठा फसाया गया है।'' अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8– मैनें अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों/साक्ष्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया।

9– अपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना वाद युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करना होता है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन के आधार पर न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया जाना है कि अभियोजन पक्ष अपने इस विधिक दायित्व का निर्वहन करने में किस सीमा तक सफल रहा है तथा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित हो पाया है या नहीं।

10– जहाॅ तक अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप का प्रश्न है, इस संबंध में विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं–

(1) क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 08–11–2021 को समय 13:30 बजे गाॅव सरूरपुर कलाॅ, थाना बागपत, जिला बागपत में वादी मुकदमा मोनू के भाई रविन्द्र का अपहरण उसकी हत्या करने के आशय से किया गया तथा गमछा से गला घोटकर

रविन्द्र की हत्या कर दी गयी व हत्या का साक्ष्य लोप करने के आशय से उसके शव को कटटे में डालकर ईख के खेत में डाल दिया गया ?

11– इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह **पी०डब्लू01 मोनू (वादी मुकदमा)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दिनांक 08–11–2021 की घटना है। उसी दिन समय करीब 1:30 बजे मेरा भाई रविन्द्र और छोटू राष्ट्र वंदना चौक पर थे। इनके पास आकाश व मनोज उर्फ मामा आये थे। आकाश व मनोज मेरे भाई रविन्द्र व छोटू को दावत के बहाने सरूरपुर ले गये थे। वहॉ पर इन्होनें शराब पी। उसके बाद आकाश व मनोज उर्फ मामा, रविन्द्र को हेवा गॉव लेकर चले गये। छोटू किसी काम से बागपत वापस आ गया था। हेवा में संजीव की टयूबवेल पर शराब पी फिर संजीव, आकाश व मनोज ने मेरे भाई रविन्द्र को गला दबाकर मार दिया। आकाश व मनोज रविन्द्र को गॉव हेवा लेकर गये थे। यह बात मुझे छोटू ने बाद में बतायी थी। अपने भाई रविन्द्र को आकाश व मनोज द्वारा ले जाने की बाबत थाने पर दिनांक 10–11–2021 को तहरीर दी थी। तहरीर को प्रदर्श क 01 के रूप में साबित किया तथा यह भी कथन किया है कि जब इसे बागपत चौराहे से लेकर गये थे उसके तीन दिन बाद इसकी लाश मिली थी। पुलिस ने मेरे से पूछतॉछ की थी।

12– **पी०डब्लू० 5 छोटू** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दिनांक 08–11–2021 को मेरे पडोस में रहने वाला रविन्द्र पुत्र तेजा मेरे साथ वंदना चौक पर खडा था तभी वहॉ पर बागपत का ही रहने वाला आकाश व दो अन्य लोग जिनमें से एक मनोज निवासी हेवा थाना छपरौली आये। आकाश और मनोज, रविन्द्र को ये कहकर ले गये कि सरूरपुर ठेके पर शराब पीयेंगे। मैं भी उन लोगों के सरूरपुर तक बाईक से गया था। हम सभी ने सरूरपुर ठेके पर बैठकर शराब पी थी फिर आकाश, मनोज रविन्द्र को मोटरसाईकिल पर बेठाकर ले गये। मैं अपने घर वापस आ गया। यह बात मैनें रविन्द्र के घर वालों को बता दी थी। इस घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

13– **पी०डब्लू० 2 सोनू** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिये हैं कि दिनांक 08–11–2021 को मेरा भाई गायब हुआ था। मैं शाम को अपने घर पहुॅचा। मुझे वहॉ रविन्द्र नहीं मिला। मैनें उसे फोन किया तो उसका फोन स्विच आफ था। उसके बाद हमने उसे तलाश किया। मैनें उसके दोस्त छोटू से पूॅछा कि रविन्द्र कहॉ है ? तो उसके द्वारा बताया आकाश और संजीव के साथ मैनें देखा है। उसने बताया कि मेनें रविन्द्र को सरूरपुर देखा है। हमने सरूरपुर में रविन्द्र को पूरे दो दिन तलाश किया। हमने 10–11–2021 को थाने में तहरीर दी थी फिर हमने फुटेज देखी। सरूरपुर ठेके की जिसमें रविन्द्र, आकाश, संजीव को देखा। आकाश बाईक चला रहा था। रविन्द्र को बीच में बैठाया था और संजीव पीछे बैठा था। फिर 11 तारीख को पुलिस ने शाम के टाईम मुझे बुलाया। मुझे गाडी में बिठाया। 4–5 पुलिस वाले थे फिर वे गाव जागोस से जहॉ उसकी (आकाश) मम्मी रहती थी, वे नहीं मिली। वहॉ से बडौत

लेकर आये फिर वहाॅ से बालकपुर चौकी ले गये। वहाॅ से बरेजा गाडी आयी, गाडी में दरोगा और एक पुलिस वाला, आकाश अभियुक्त और मुल्जिम मनोज गाडी में थे वहाॅ से पुलिस की गाडी तीन हो गयी फिर वहाॅ के आस–पास वे हेवा गाॅव में ईख के खेत में गाडी रोकी। मुल्जिम आकाश व मनोज को गाडी से उतारा तो पुलिस वाले 10–15 थे। आकाश और मनोज को लेकर ईख के खेत में गये। आकाश रात को 10 बजे के आस पास ईख के खेत में इधर उधर बहकाता रहा फिर आकाश को पुलिस वालों ने दो चाटे मारे। उसके बाद आकाश ने रविन्द्र को बोरे में ईख के खेत में नग्न हालत में फेंक रखा था। वहाॅ से बरामद करा फिर मैनें देखा तो रविन्द्र के गले में निशान था, कान पे निशान था व खून लगा था, कान पे खून का निशान था। इसके बाद अभियुक्त चुपचाप खडा था। पुलिस वालों ने बरामदगी के सम्बन्ध में वीडियो बनायी थी, कोई कागज नहीं भरे थे। मेरे हस्ताक्षर पुलिस ने बागपत आकर कराये थे जब पंचायतनामा भरा था। कागज संख्या 6 ए/4 व 6A/5 पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे जिसकी शिनाख्त करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क 02 डाला गया।

14– पी०डब्लू० 3 धन्नू ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि मेरा भतीजा रविन्द्र गायब हो गया था। हम उसकी तलाश कर रहे थे। हम लोगों को रविन्द्र को तलाश करते–करते कई दिन हो गये। पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर मैं अपने पडोसियों के साथ हेवा के जंगल में बिल्लू पुत्र रामेश्वर के खेत पर गये थे। वहाॅ पर एक पलास्टिक के कटटे में अर्धनग्न हालत में रविन्द्र का शव पड़ा मिला था। पुलिस ने मेरे सामने लाश का पंचायतनामा भरा था। मेरे हस्ताक्षर कराये थे। कागज संख्या 6 अ/4 व 6 अ/5 पंचायतनामा पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

15– पी०डब्लू० 4 डॉ० हरीश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दिनांक 12–11–2021 को वह बतौर मेडिकल आफिसर जिला संयुक्त अस्पताल बागपत पर तैनात थे। उसी दिन कॉ० राजेश व कॉ० सचिन, रविन्द्र पुत्र तेजपाल, निवासी बडौत रोड बागपत, थाना व जिला बागपत का शव लेकर आये थे। शव के वाहय परीक्षण पर निम्नलिखित चोटें पायी गयी थी :–

1– लिगरेचर फंदे का निशान गर्दन के सामने व बायी तरफ गर्दन के था। जिसकी दिशा सीधी थी। लिगरेचर मार्क की लम्बाई 24 cm व बाये कान के नीचे चौडाई 4cm व ढोडी के नीचे डेढ से.मी. लिगरेचर मार्क बाये कान से 3cm नीचे व ढोडी से 5cm नीचे था तथा राईट जबडे की हडडी से 5cm नीचे था।

2– कटा हुआ घाव जिसका साईज 2x3cm था। मस्कल डीप था जो कि राईट फ्रन्टल बोन सिर पर था।

3– मल्टीपल अब्रेजन जिनका साईज 40x43cm पीछे पीठ पर थे।

4– 02 अब्रेजन जिनका साईज 6x3 तथा 1.5x1cm था। दायी साईड चेस्ट पर था।

5– 02 अब्रेजन जिनका साईज 1x1cm दायी कलाई के पीछे की तरफ था।

6– मल्टीपल अब्रेजन जिसका साईज 4x3cm दायी घुटने के अंदर की तरफ था।

मृतक का चेहरा सूजा हुआ था। उपर के होंठ सूजे हुये थे तथा मुँह व दाये कान पर खून जमा था। मृतक के आंतरिक परीक्षण में सिर पर खून ऊपर से अंदर तक जमा था। दायी पार्सियल हडडी टूटी थी। मृतक के दिमाग को खोलने पर फ्री व क्लाटेड ब्लड जमा था। नाक से फ्रोट निकला था। मृतक के मुँह के अंदर खून था। श्वास नली कन्जस्टेड थी। मृतक के फेफडे भी कन्जस्टेड थे। हृदय खाली था। अमाशय में सेमी सालिजड फूड था। मृतक के लीवर, स्पलीन, किडनी कन्जस्टेड थे। मृतक के पेशाब की थैली आधी भरी थी। मेरे अनुमान में मृतक की मृत्यु शॉक व अधिक खून बहने से हुयी है जो कि मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण संभव है। मृतक की मृत्यु का समय पोस्टमार्टम करने से दो दिन पहले होना संभव है। कागज संख्या 6 अ/3, 6 अ/6, 6 अ/8, 6 अ/9 पुलिस प्रपत्र मृतक शव के साथ पुलिस वाले लाये थे जिन पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं। प्रदर्श क 03 लगायत प्रदर्श क 07 डाले गये। कागज संख्या 6 अ/13 पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जो मेरे हस्तलेख में है। प्रमाणित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क 08 डाला गया।

16– **पी०डब्लू० 6 एच.सी. अनिल कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दिनांक 11–11–2021 को मैं थाना बागपत पर बतौर हेड मोहर्रिर नियुक्त था। मोनू पुत्र तेजपाल निवासी बडौत रोड, बागपत की तहरीर पर मु०अ०सं० 1081/21 धारा 363 भा०दं०सं० बनाम आकाश आदि थाने पर पंजीकृत हुआ था जिसकी चिक रिपोर्ट मैनें कम्प्यूटर आपरेटर अजय को बोल–बोलकर टाईप करायी थी। चिक रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है, शिनाख्त करता हूँ। प्रदर्श क 09 डाला गया। उपरोक्त मुकदमे का खुलासा मेरे द्वारा जी०डी० संख्या 23 समय 10:30 बजे किया गया था। जी०डी० मेरे द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर को बोल–बोलकर टाईप करायी गयी थी। असल जी०डी० की कम्प्यूटर प्रति पत्रावली पर मौजूद है, सत्यापित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क 10 डाला गया।

17– **पी०डब्लू० 8 एस.आई. सचिन कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दिनांक 10–11–2021 को मैं बागपत कोतवाली में बतौर एस.आई.नियुक्त था। मोनू पुत्र तेजपाल निवासी बडौत जनपद बागपत की तहरीर पर मु०अ०सं० 1081/2021, अन्तर्गत धारा 363 भा०दं०सं० थाने पर पंजीकृत हुआ था। इसकी विवेचना मुझे सुपुर्द हुयी थी। विवेचना से सम्बन्धित समस्त कागजात प्राप्त कर विवेचना प्रारंभ की गयी। दिनांक 11–11–2021 को मेरे द्वारा सी०डी० 1 किता की गयी जिसमें नकल तहरीर, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर.लेखक, बयान वादी मुकदमा मोनू तथा चश्मदीद गवाह छोटू के बयान अंकित किये गये तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया गया। नक्शा नजरी पत्रावली पर कागज संख्या 5 अ/2 के रूप में मौजूद है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क 12 डाला गया। दिनांक 11–

11–2021 को सी०डी० 2 किता की गयी जिसमें वादी मुकदमा का मजीद बयान अंकित किया गया। वादी ने बताया कि दिनांक 08–11–2021 को मेरा भाई रविन्द्र तथा छोटू बागपत में वन्दना चौक पर मौजूद थे तभी वहॉ पर अभियुक्त आकाश व मनोज आ गये। मेरे भाई रविन्द्र, आकाश, छोटू व मनोज पहले से परीचित थे। आकाश ने मेरे भाई रविन्द्र व छोटू से कहा कि चलो सरूरपुर चलते हैं, वही खाये पीयेंगे। आकाश, मनोज मेरे भाई रविन्द्र व छोटू को अपने साथ सरूरपुर ले गये। इन लोगों ने सरूरपुर में शराब के ठेके पर बैठकर शराब पी। शराब पीने के बाद छोटू वापस बागपत आ गया। आकाश, मनोज मेरे भाई रविन्द्र को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर हेवा ले गये तथा वहॉ पर संजीव की टयूबवेल पर बैठकर शराब पी। संजीव, आकाश व मनोज ने वही पर मेरे भाई रविन्द्र की हत्या कर दी। दिनांक 12–11–2021 को सी०डी० 3 किता की जिसमें अभियुक्त आकाश व मनोज को गिरफतार किया गया तथा अभियुक्तगण के बयान अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने बताया था कि हमारी आपस में उठ बैठ थी। हमने रविन्द्र के साथ बैठकर शराब पी थी। रविन्द्र हमारे साथ गाली गलौच करने लगा था। हम तीनों संजीव, मनोज व आकाश रविन्द्र का अपहरण करके रविन्द्र को संजीव उर्फ काला की टयूबवेल पर ले गये थे। वहॉ रविन्द्र संजीव के साथ मारपीट करने लगा था। हमने रविन्द्र का गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी थी एवं रविन्द्र के शव को वहीं टयूबवेल के पास खेत में डाल दिया था। अभियुक्तगण की निशानदेही से मृतक रविन्द्र की लाश बरामद की गयी तथा हत्या में प्रयुक्त गमछा भी बरामद कराया गया। बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी मेरे द्वारा मौके पर तैयार किया गया जो पत्रावली पर कागज संख्या 5अ/1 के रूप में मौजूद है। नक्शा नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हॅू। नक्शा नजरी पर प्रदर्श क13 डाला गया। गमछे को मौके पर ही समक्ष गवाहान विकास व संदीप सफेद कपडे में रखकर सील सर्व मोहर किया गया, नमूना मोहर तैयार किया गया तथा मौके पर ही मेरे द्वारा फर्द लिखी गयी व उस पर मैनें हस्ताक्षर किये। फर्द पत्रावली पर कागज संख्या 7अ के रूप में मौजूद है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हॅू जिस पर प्रदर्श क 14 डाला गया। शव का पंचायतनामा व उसके साथ संलग्न प्रपत्र भी मेरे द्वारा तैयार किये गये थे जिन पर पूर्व में ही प्रदर्श क 02, प्रदर्श क 04, प्रदर्श क 05 एवं प्रदर्श क 06 एवं प्रदर्श क 07 डाले गये हैं। न्यायालय की अनुमति से एक सील बंद माल पुलिन्दा खोला गया जिसमें से एक गमछा निकला। इसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही गमछा है जो हमने अभियुक्त आकाश व मनोज की निशानदेही पर बरामद किया था तथा इसी गमछे से मृतक रविन्द्र की फांसी देकर हत्या की गयी थी। गमछे पर वस्तु प्रदर्श 01 डाला गया।

18– पी०डब्लू० 7 निरीक्षक तपेश्वर सागर ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दिनांक–13.11.2021 को मैं प्रभारी थाना बागपत के पद पर तैनात था। पूर्व

विवेचक निरीक्षक अजय कुमार शर्मा के स्थानान्तरण के उपरान्त मु०अ०सं०–1081/2021, धारा 364, 302, 201, 34 IPC की विवेचना पेंडिंग होने के फलस्वरुप मेरे द्वारा गृहण की गयी थी। जिसमें पर्चा सं०–05 दिनांक–13.11.2021 को किता किया गया। जिसमें विवेचना गृहण कर पूर्व में किता की गयी केस डायरियों का अवलोकन किया गया। पर्चा 06 14.11.2021 को किता किया गया। जिसमें दिनांक– जसमें अभियुक्त संजीव उर्फ काला की गिरफ्तारी की गयी एवं उसका ब्यान लिया गया। पर्चा–07 दिनांक–16.11.2021 को किता है। जिसमें ब्यान गवाह छोटू लिया गया। पर्चा–08 दिनांक– 20.11.2021 को किता किया गया जिसमें नकल पंचायतनामा, मृतक रविन्द्र, नकल पी. एम० रिपोर्ट की गयी। पर्चा–09 दिनांक–08.12.2021 को किता किया गया है जिसमें बयान गवाह पंचायतनामा उपनिरीक्षक सचिन कुमार हेड कां० राजेश, कां० सचिन कुमार किये गये। पर्चा–10 दिनांक–25.12.2021 को किता है जिसमें बयान पंचानान श्री धन्नू, श्री भूषण, श्री सोनू लिया गया। पर्चा–11 दिनांक–06.01.2022 को किता है जिसमें बयान गवाह पंचानान सन्दीप त्यागी एवं विकास लिये गये हैं। पर्चा–12 दिनांक–22.01.2022 को किता है जिसमें बयान गवाह पोस्टमार्टमकर्ता डा० श्री हरीश कुमार लिया गया है। पर्चा–13 दिनांक–03.02.2022 को किता किया गया है जिसमें सम्पूर्ण विवेचना से अभियुक्तगण आकाश पुत्र ब्रम्हासिंह, मनोज पुत्र वेदपाल व संजीव उर्फ काला पुत्र सुरेशपाल के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपपत्र सं०–48/2022 दिनांक–03.02.2022 को अं०धारा– 364, 302, 201, 34 IPC माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। मेरे द्वारा प्रेषित किया गया आरोपपत्र कागज सं०–03 अ/01 के रुप में पत्रावली पर मौजूद है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क 11 डाला गया।

19– इसप्रकार पी०डब्लू० 1 मोनू /वादी मुकदमा ने अपने बयान में मृतक रविन्द्र को ग्राम हेवा ले जाकर अभियुक्तगण आकाश, मनोज उर्फ मामा व संजीव द्वारा गला दबाकर मारने का साक्ष्य दिया है तथा यह कथन किया है कि यह बात उसे छोटू ने बाद में बतायी थी। पी०डब्लू० 5 छोटू ने अपने बयान में आकाश व मनोज द्वारा रविन्द्र को मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले जाने का साक्ष्य दिया है। पी०डब्लू० 4 डाक्टर हरीश कुमार ने अपने साक्ष्य में मृतक रविन्द्र की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण सम्भव होना कहा है। पी०डब्लू० 2 सोनू व पी०डब्लू० 3 धन्नू ने भी अपने साक्ष्य में केवल रविन्द्र की लाश बरामद होने का साक्ष्य दिया है। किसी भी साक्षी ने अपने समक्ष रविन्द्र की हत्या होते हुये देखे जाने का कथन नहीं किया है। अतः अभियोजन साक्षीगण के उपरोक्त बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अतः पूरा प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका हुआ है। इस सम्बन्ध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है

कि वह साक्ष्य की कड़ियों को इस प्रकार जोड़े जिससे कि कड़ियों के बीच कोई खाली जगह न रह जाए और केवल और केवल अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा की जाए और किसी की नहीं ।

20– **<u>मुशीर खांन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए०आई०आर० 2010 एस०सी० 762</u>** में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में सम्प्रेक्षण करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कथन किया गया कि परिस्थितियों की साक्ष्य ऐसी होनी चाहिए कि इन परिस्थितियों के अधीन अभियुक्त के दोषी होने की अवधारणा के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलता हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी विषय पर दूसरे सिद्धान्त का संप्रेक्षण करते हुए यह भी प्रतिपादित किया कि साक्ष्य की कड़िया आपस में इस प्रकार जुड़ती हुई, प्रत्येक संशय से परे साबित दिखे कि समग्र रूप से केवल और केवल विचारित अभियुक्त की दोष सिद्ध कर रही हो, न कि किसी अन्य सम्भावना के बारे में।

21– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **<u>सांगिली उर्फ संगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य, 2015(1) सी०सी०एस०सी० 178 एस०सी०</u>** में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया गया है जो निम्न प्रकार है–

"(i) The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn must or should be and not merely 'may be' fully established;

(ii) The facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty;

(iii) The circumstances should be of conclusive nature and tendency.

(iv) They should exclude every possible hypothesis except the one to be proved; and

(v) There must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused."

22– इसी आशय की विधि व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **क्रिमिनल अपील संख्या 530/2022 दिनेश कुमार बनाम स्टेट आफ हरियाणा** में अपने निर्णय दिनॉक 04/05/2023 एवं **क्रिमिनल अपील संख्या 465/2017 कमाल बनाम स्टेट (एन०सी०टी० आफ देहली)** में पारित निर्णय दिनॉकित 07/08/2023 में भी प्रतिपादित की गयी है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शंकर बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र क्रिमिनल अपील संख्या–954/2011** में पारित निर्णय दिनॉकित 15/03/2023 में यह प्रतिपादित किया है कि– ''These five golden principles, if we may say so, constitute the panchaheel of the proof of a case based on circumstantial evidence.''

23– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CHANDRU @ CHANDRASEKARAN STATE REP BY DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE CB CID AND ANR.

2019(107) ACC 964 में भी इसी आशय की विधि व्यवस्था प्रतिपादित करते हुए यह विधि व्यवस्था पारित कीः–

> **11.** The law can be Summarised in the following terms:
>
> **1.** The circumstances relied upon by the prosecution which lead to an inference to the guilt of the accused must be proved beyond doubt;
>
> **2.** The circumstances should unerringly point towards the guilt of the accused;
>
> **3.** The circumstances should be linked together in such a manner that the cumulative effect of the chain formed by joining the links is so complete that it leads to only one conclusion i.e. the guilt of the accused;
>
> **4.** That there should be no probability of the crime having been committed by a person other than the accused.

24– सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रकरण में यह देखना होगा कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य की कड़ियों को इस प्रकार जोड़ पाया है या नहीं, जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होता हो

25– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **रविन्द्र कुमार बनाम स्टेट आफ पंजाब 2001(2) जे०आई०सी० 981 एस०सी०** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां पर अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। वहां परिस्थितियों के साथ साथ हेतुक को भी साबित किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शंकर बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र क्रिमिनल अपील संख्या–954/2011** में पारित निर्णय दिनॉकित 15/03/2023 में यह प्रतिपादित किया है कि जहॉ दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो वहॉ हेतुक बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

26– जहॉ तक प्रस्तुत मामले में घटना के हेतुक का प्रश्न है इस सम्बन्ध में किसी भी साक्षी ने इस आशय का कोई कथन नहीं किया है कि मृतक अथवा अभियुक्तगण के मध्य घटना से पूर्व कोई रंजिश अथवा विवाद या कहा–सुनी हुई थी। अतः मेरे विचार से अभियोजन पक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के पास मृतक रविन्द्र की हत्या का हेतुक साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

27– अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या मृतक की हत्या के समय अभियुक्तगण मृतक के साथ उपस्थित थे अथवा अभियुक्तगण को किसी ने रविन्द्र की हत्या के इतने समय पूर्व उसके साथ देखा था कि पूर्ण सम्भावना यही है कि मृतक की हत्या अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की जा सकती थी, किसी अन्य के द्वारा नहीं। वस्तुतः "**Last Seen**" का साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है।

28– इस सम्बन्ध में पी०डब्लू० 1 मोनू/वादी मुकदमा ने अपनी तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क 01) में यह कथन किया है कि दिनांक 08–11–2021 को समय करीब 01:30 बजे दोपहर को रविन्द्र को आकाश व उसका मामा सरूरपुर कलॉ

गॉव में बुलाया और उसके बाद रविन्द्र उनके कहने पर सरूरपुर कलॉ ठेके पर गया जहॉ रविन्द्र को उन्होनें शराब पिलायी और अगवा कर लिया। उसके भाई को ले जाते हुये छोटू पुत्र बालू निवासी मण्डी बागपत ने देखा था। किन्तु इस साक्षी ने न्यायालय में की गयी अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी तहरीर के विपरीत यह कथन किया है कि दिनांक 08–11–2021 को 01:30 बजे उसका भाई रविन्द्र व छोटू राष्ट्रवंदना चौके पर थे। इनके पास आकाश व मनोज उर्फ मामा आये थे जो रविन्द्र व छोटू को दावत के बहाने सरूरपुर ले गये थे। वहॉ इन्होनें शराब पी, उसके बाद आकाश व मनोज उर्फ मामा, रविन्द्र को हेवा गॉव ले गये। छोटू किसी काम से बागपत वापस आ गया। हेवा में संजीव के टयूबवेल पर शराब पी और फिर संजीव, आकाश व मनोज ने रविन्द्र को गला दबाकर मार दिया। यह बात छोटू ने उसे बाद में बतायी थी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि ''छोटू ने मुझे मेरे भाई को ले जाने वाली बात 08 तारीख को तीन बजे बता दी थी। छोटू उनके साथ सरूरपुर तक गया था।'' इसप्रकार पी०डब्लू01 के अनुसार छोटू ने मृतक रविन्द्र के साथ सरूरपुर जाने की बात वादी मुकदमा को घटना के दिनांक पर 08 तारीख को ही तीन बजे बता दी थी तब वादी द्वारा दिनांक 11–10–2021 को लिखायी गयी तहरीर में उक्त बात क्यों अंकित नहीं की गयी, इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं दिया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से **सुनील कुमार शम्भू दयाल गुप्ता व अन्य बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र 2011(72) ए०सी०सी० 699** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था पर बल देते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वस्तुतः पी०डब्लू० 1 ने दौरान साक्ष्य improvement किया है। अतः उसकी साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय हो जाती है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में बल प्रतीत होता है क्योंकि अपनी तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा ने इस आशय का कोई कथन नहीं किया है कि राष्ट्रवंदना चौक से छोटू व रविन्द्र को आकाश व मनोज ग्राम सरूरपुर कलॉ ले गये थे व छोटू के समक्ष ही ग्राम सरूरपुर कलॉ से आकाश व मनोज रविन्द्र को मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गये थे। अपितु तहरीर प्रदर्श क 01 के कथनानुसार रविन्द्र स्वयं सरूरपुर कलॉ ठेके पर गया था। इसप्रकार तहरीर प्रदर्श क 01 व पी०डब्लू० 1 के बयान में घटना के महत्वपूर्ण तथ्यों के सम्बन्ध में गंभीर विरोधाभास है एवं improvement है। यदि वास्तव में छोटू भी मृतक रविन्द्र के साथ गॉव सरूरपुर कलॉ गया था और उसी ने समस्त घटना को दिनांक 08–11–2021 को ही तीन बजे वादी मुकदमा को बता दिया था तो अवश्य ही वादी मुकदमा तहरीर में उक्त तथ्य को अंकित करता। जहॉ तक अभियुक्त संजीव का प्रश्न है। वादी मुकदमा ने मुख्य परीक्षा में अभियुक्त संजीव द्वारा ही रविन्द्र की गला दबाकर मारने का कथन किया है लेकिन उसने किस आधार पर अभियुक्त संजीव को भी घटना में शामिल होने का कथन किया है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अपितु अपनी प्रतिपरीक्षा में

स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि मैनें अपनी तहरीर में व धारा 161 दं०प्र०सं० के बयानों में संजीव उर्फ काले का नाम पुलिस को नहीं बताया था।

29– इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना की बाबत छोटू द्वारा उसे बताये जाने का कथन किया है किन्तु अपनी मुख्य परीक्षा के विपरीत अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि ''मुझे छोटू ने अभियुक्तगण द्वारा मृतक रविन्द्र को अपने साथ ले जाने वाली बात छोटू पुत्र बालू ने नहीं बतायी थी। छोटू ने अभियुक्तगण को अपने साथ मृतक रविन्द्र को साथ ले जाते हुये व कहीं जाते हुये नहीं देखा था। छोटू, मृतक रविन्द्र, आकाश अभियुक्तगण के साथ नहीं गया था। ''इस साक्षी ने अभियुक्त मनोज की ओर से की गयी जिरह में यह भी कथन किया कि अभियुक्तगण मेरे भाई को मेरे सामने नहीं बुलाकर ले गये थे। मैं सरूरपुर ठेके पर मौजूद नहीं था। –––मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई। इसप्रकार पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, न ही पी०डब्लू० 1 के बयान से अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त होता है अपितु पी०डब्लू० 1 के बयान में आये गंभीर विरोधाभास पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य व तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।

30– पी०डब्लू० 5 छोटू ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 08–11–2021 को रविन्द्र उसके साथ राष्ट्रवंदना चौक पर खडा था तभी वहॉ आकाश व दो अन्य लोग जिनमें से एक मनोज था आये। आकाश व मनोज, रविन्द्र को सरूरपुर ठेके पर शराब पिलाने के लिये कहकर ले गये। वह भी उनके साथ सरूरपुर तक बाईक से गया व सभी ने वहॉ शराब पी फिर आकाश, मनोज, रविन्द्र को मोटरसाईकिल पर बिठाकर ले गये और वह अपने घर वापस आ गया और रविन्द्र के घर वालों को यह बात बतायी। जहॉ तक अभियुक्त संजीव का प्रश्न है, इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि ''मैं अभियुक्त संजीव उर्फ काला को नहीं जानता हूॅ। मैनें कभी संजीव उर्फ काला को आज से पहले कभी नहीं देखा। मैनें संजीव उर्फ काला का नाम पुलिस को नहीं बताया था, ना ही मैनें मृतक के भाईयों को संजीव उर्फ काला का नाम बताया था।'' इसप्रकार अभियुक्त संजीव के विरूद्ध इस साक्षी ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

31– जहॉ तक अभियुक्त आकाश व मनोज का प्रश्न है,उनके सम्बन्ध में भी इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा के पूर्णतः विपरीत यह कथन किया है कि ''मैं शराब नहीं पीता हूॅ। घटना वाले दिन मैनें मृतक रविन्द्र, आकाश व मनोज के साथ बैठकर शराब नहीं पी थी। ना ही आकाश,रविन्द्र को मेरे सामने अपने साथ ले गया था। घटना वाले दिन आकाश मुझे शराब पीने के लिये साथ नहीं ले गया था। मृतक रविन्द्र व आकाश के साथ मैं घटना वाले दिन सरूरपुर ठेके पर नहीं गया था। ना ही मैनें आकाश व मनोज को मोटरसाईकिल पर मृतकरविन्द्र को ले जाते देखा था। मैनें रविन्द्र के भाई मोनू को नहीं बताया था कि आकाश व मनोज, रविन्द्र को अपने

साथ मोटरसाईकिल पर बिठाकर ले गये।'' पुनः अभियुक्त मनोज की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के पूर्णतः विपरीत यह कथन किया कि ''मैं हाजिर अदालत मनोज को नहीं जानता हूॅ। मैनें रविन्द्र को मनोज के साथ जाते नहीं देखा था। ना ही मैं मनोज व अन्य अभियुक्तगण के साथ सरूरपुर ठेके पर गया था। मैनें मनोज को आज से पहले कभी नहीं देखा है। ना ही मनोज रविन्द्र के साथ मोटरसाईकिल पर मेरे सामने गया। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि दरोगा जी को मैनें कोई बयान नहीं दिया था, कैसे लिख लिया मैं नहीं बता सकता। ''

32– साक्षी छोटू प्रस्तुत प्रकरण में इस तथ्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण साक्षी था कि मृतक रविन्द्र हत्या से इतने समय पूर्व अभियुक्तगण के साथ देखा गया था कि पूर्ण संभावना यही है कि मृतक की हत्या अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की जा सकती थी, किसी अन्य के द्वारा नहीं। किन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण आकाश व मनोज को घटना से पूर्व रविन्द्र को साथ ले जाते हुये देखने के तथ्य से इन्कार किया है। अतः इस साक्षी के बयान द्वारा अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि घटना के समय या उसके पूर्व छोटू ने अभियुक्तगण आकाश व मनोज को मृतक के साथ देखा था।

33– जहॉ तक पी०डब्लू० 2 सोनू का प्रश्न है, इसने अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि उसने ही रविन्द्र के दोस्त छोटू से पूॅछा था कि रविन्द्र कहॉ तो उसने बताया था कि आकाश व संजीव के साथ मैनें देखा है। उसने बताया कि मैनें रविन्द्र को सरूरपुर देखा है जबकि छोटू द्वारा बतौर पी०डब्लू० 5 दिये गये बयान में उपरोक्त तथ्य से इन्कार किया है और जहॉ तक अभियुक्त संजीव का प्रश्न है अपनी मुख्य परीक्षा में भी पी०डब्लू० 5 छोटू ने संजीव को मृतक रविन्द्र को अपने साथ ले जाने का कोई कथन नहीं किया है। उसने आकाश व मनोज को रविन्द्र को मोटरसाईकिल पर बिठाकर ले जाने का कथन किया है। इसप्रकार पी०डब्लू02 का उपरोक्त कथन पी०डब्लू० 5 छोटू के बयान से सम्पुष्ट नहीं होता है। इस साक्षी ने अपने बयान में यह भी कथन किया है कि दिनांक 10–11–2021 को थाने में तहरीर दी थी फिर हमने सरूरपुर शराब ठेके की फूटेज देखी जिसमें रविन्द्र, आकाश व संजीव को देखा। आकाश बाईक चला रहा था। रविन्द्र को बीच में बिठाया था और संजीव पीछे बैठा था।

34– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि केस डायरी में इस आशय का कोई कथन नही अंकित है कि सोनू ने कोई फूटेज देखी हो व पुलिस को सूचित किया हो। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में बल प्रतीत होता है। पी०डब्लू० 2 सोनू के द्वारा न्यायालय में भी ऐसी कोई फूटेज प्रस्तुत नहीं की गयी और न ही उसे विधिनुसार साबित किया गया है।

35– जहॉ तक तहरीर का प्रश्न है। तहरीर थाने में चिंक एफ०आई०आर० प्रदश क 09 एवं जी०डी० प्रदर्श क 10 के अनुसार दिनांक 11–11–2021 को ही अंकित की

गयी है। अतः पी०डब्लू० 2 का यह कथन कि उसने तहरीर थाने पर दिनांक 10–11–2021 को दी थी, अभियोजन कथानक को संदिग्ध बना देता है। इस साक्षी ने अपने बयान में अपने समक्ष अभियुक्त आकाश द्वारा रविन्द्र की लाश को बरामद कराये जाने का कथन किया गया है तथा पंचायतनामा प्रदर्श क 02 को साबित किया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी०डब्लू० 2 केस डायरी के अनुसार केवल पंचायतनामा का साक्षी है, तथ्य का एवं मृतक के शव की बरामदगी का साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में बल प्रतीत होता है। क्योंकि सोनू ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में केवल यह कथन किया है कि ''दिनांक 11–11–2021 को अपने पड़ोसियों के साथ अपने भाई रविन्द्र की तलाश कर रहा था। सूचना पर मैं अपने पड़ोसियों के साथ जंगल ग्राम हेवा में बिल्लू पुत्र रामेश्वर के खेत पर गया था जहॉ मेरे भाई रविन्द्र पुत्र तेजपाल का शव एक प्लास्टिक के कटटे में अर्धनग्न हालत में पड़ा था। पुलिस द्वारा मेरे समक्ष शव का पंचायतनामा भरा था।'' इसप्रकार पी०डब्लू० 2 केवल पंचायतनामा का साक्षी है। स्वयं इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि यह सभी बातें आज न्यायालय में पहली बार बता रहा हूॅ। ऐसी स्थिति में उसकी साक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। इसी आशय की विधि व्यवस्था State Represented by inspector of police Tamilnadu Vs Sait @Krishnkumar (2008)15 SCC 440 में प्रतिपादित की गई है।

36– इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि सारी घटना मुझे छोटू ने बतायी थी। संजीव काला को मैं पहले से नहीं जानता था, ना ही आज पहचान सकता हूॅ। जबकि स्वयं इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसने फूटेज में संजीव को रविन्द्र के पीछे बैठा हुआ देखा था। यदि छोटू, संजीव को पहले से नहीं जानता था और न ही साक्ष्य देने तक वह उसे पहचान सकता था तब किस प्रकार उसने फूटेज में संजीव को पहचाना। इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है। इसप्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि पी०डब्लू० 2 का बयान अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता को संदेह से परे साबित नहीं कर सका है।

37– पी०डब्लू० 3 धन्नू ने पंचायतनामा को अपने समक्ष पुलिस द्वारा भरे जाने का साक्ष्य दिया है। इस साक्षी ने अपने बयान में इस आशय का कोई कथन नहीं किया कि अभियुक्तगण में से किसी ने मृतक रविन्द्र की लाश की बरामदगी उसके समक्ष करायी। इस साक्षी ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मुझे इस समय ध्यान नही है कि बरामदगी स्थल पर किस समय गये थे। मुझे ध्यान नहीं पंचायतनामा कहॉ भरा गया था। मुझे पुलिस ने पंचायतनामा पढ़कर नहीं सुनाया था। मुझे नहीं पता कि उसमें क्या लिखा था। मुझे जानकारी नहीं कि पंचायतनामा किस समय से किस समय तक भरा गया था। मुझे नहीं पता कि पंचायतनामे में पंचान के रूप में कौन और

किनके नाम हैं। इसप्रकार इस साक्षी ने यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में पंचायतनामे को साबित किया है किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में पंचायतनामे की कार्यवाही से सम्बन्धित सभी तथ्यों से अनभिज्ञता व्यक्त की है जो इस साक्षी के बयान एवं अभियोजन कथानक की सत्यता पर संदेह कारित करता है।

38– अभियोजन कथानक के अनुसार प्रश्नगत घटना मृतक के अभियुक्तगण के साथ शराब पीने के उपरांत घटित हुई जबकि पी०डब्लू० 4 डॉक्टर हरीश कुमार, चिकित्साधिकारी, जिला संयुक्त चिकित्सालय बागपत ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि मृतक के शरीर में एल्कोहल नहीं पाया गया था। साथ ही इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मृतक की मृत्यु दिनांक 10–11–2012 को होना संभव है। 09–11–2021 की रात्रि 11–12 बजे भी होना संभव है। इससे अधिक संभव नहीं है। इसप्रकार पी०डब्लू० 4 चिकित्सक के बयान से अभियोजन कथानक की सम्पुष्टि नहीं होती है क्योंकि अभियोजन कथानक के अनुसार मृतक की मृत्यु अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 08–11–2021 को समय 01:30 बजे अपने साथ ले जाकर व शराब पिलाकर कारित की गयी।

39– पी०डब्लू० 8 एस०आई० सचिन कुमार ने प्रस्तुत मामले की विवेचना किये जाने का साक्ष्य दिया है व घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क 12 को तैयार करने का साक्ष्य दिया है। इस साक्षी ने अपने बयान में अभियुक्तगण की निशानदेही से मृतक रविन्द्र की लाश व घटना में प्रयुक्त गमछे की बरामदगी होना कहा है व बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी को प्रदर्श क 13 के रूप में साबित किया है। फर्द बरामदगी गमछा को इस साक्षी ने प्रदर्श क 14 के रूप में व शव का पंचायतनामा व संलग्न प्रपत्रों को प्रदर्श क 02 लगायत प्रदर्श क 07 के रूप में साबित किया है और बरामद गमछा को वस्तु प्रदर्श 01 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने मौके से साक्षीगण विकास व संजीव के समक्ष बरामद किये जाने का कथन किया है किन्तु स्वतंत्र साक्षीगण विकास व संजीव को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया, ना ही गमछे की कोई शिनाख्त करायी गयी। ना ही इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि गमछा किस व्यक्ति का था।

40– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया कि अभियोजन की ओर से केस डायरी के साथ एक सी०डी० पत्रावली पर दाखिल है किन्तु उसकी बाबत कोई भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(B) का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त सी०डी० साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में बल है। पत्रावली पर एक सी०डी० कागज संख्या 9ब/49 दाखिल है किन्तु किसी भी साक्षी द्वारा उक्त सी०डी० को साबित नहीं किया गया। विवेचनाधिकारी पी०डब्लू० 8 सचिन कुमार ने अपने बयान में यह कथन किया कि मेरे द्वारा 65(B)का प्रमाणपत्र, सी०डी० या फोटो को प्राप्त नहीं किया गया था। द्वितीय विवेचक पी०डब्लू० 7 निरीक्षक तपेश्वर सागर ने अपनी

प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि सी०डी० जो पत्रावली में दाखिल है उसके सम्बन्ध में कोई 65(B) का प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया गया है। इसप्रकार पत्रावली पर दाखिल सी०डी० विधिनुसार साबित नहीं किये जाने के कारण साक्ष्य में ग्राहय नहीं है।

41– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण की गिरफतारी किये जाते समय कोई रवानगी की जी०डी० पत्रावली पर दाखिल नहीं है। जबकि पी०डब्लू० 8 द्वारा विवेचक सचिन कुमार द्वारा अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि गिरफतारी के लिये जाते समय जी०डी० में रवानगी की थी। जी०डी० की कॉपी पत्रावली पर नहीं है। वस्तुतः जी०डी० की कॉपी इस तथ्य को साबित करने के लिये महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकती थी कि अभियुक्तगण की गिरफतारी के दिनांक पर विवेचक कथित गिरफतारी के स्थल पर मौजूद थे। किन्तु ऐसी कोई जी०डी० दाखिल न करना अभियुक्तगण की गिरफतारी के कथित समय व दिनांक को संदिग्ध बना देता है, साथ ही गिरफतारी मीमो के सम्बन्ध में भी इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि आकाश व मनोज के गिरफतारी मीमो कॉलम नम्बर 3 में गिरफतार करने वाले पुलिस कर्मियों का नाम, पदनाम, व्यक्तिगत नम्बर व नियुक्ति के कॉलम को रिक्त छोड़ा गया है। अभियुक्त आकाश की गिरफतारी मीमो में कॉलम नम्बर 4 स्थानीय साक्षी के रूप में पुलिस लिखा गया है जबकि स्थानीय साक्षी का नाम उल्लिखित होना चाहिये था और अभियुक्त मनोज की गिरफतारी मीमो में स्थानीय साक्षी के कॉलम को भी रिक्त छोड़ा गया है। गिरफतारी मीमो में गिरफतार करने वाले पुलिस कर्मियों के नाम, पदनाम का उल्लेख न होना भी यह इंगित करता है कि अभियुक्तगण की गिरफतारी उस समय व स्थान से नहीं की गयी जो कि गिरफतारी मीमो में अंकित है जिससे संपूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। गिरफतारी व बरामदगी का भी कोई स्वतंत्र साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है।

42– इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचती हूॅ कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मामले की साक्ष्य की कड़ियों को इस प्रकार जोड़ने में असमर्थ रहा है जिससे कि संदेह से परे यह तथ्य साबित होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा ही रविन्द्र का अपहरण कर गमछे से गला दबाकर मृतक रविन्द्र की हत्या कारित की गयी जबकि अभियोजन पक्ष का यह विधिक दायित्व था कि वह प्रस्तुत मामले के परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होने के कारण वह साक्ष्य की कड़ियों को इस प्रकार से जोड़े कि कड़ियों के बीच कोई स्थान खाली न रह जाये। केवल और केवल अभियुक्तगण के दोषी होने की उपधारणा की जाये किसी अन्य की नहीं। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई हेतुक अंकित नहीं किया गया। ना ही घटना का कोई चश्मदीद साक्षी प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन पक्ष किसी ऐसे साक्षी को भी प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिसने मृतक को घटना से पूर्व अभियुक्तगण के साथ देखा हो। वस्तुतः अभियोजन पक्ष कोई भी ऐसी साक्ष्य की कड़ी को स्थापित

करने में असफल रहा है जिससे अभियुक्तगण को प्रश्नगत मामले में घटी आपराधिक घटना से जोड़ा जा सके।

43– अतः उपरोक्त विवेचना के उपरान्त अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण आकाश, मनोज व संजीव उर्फ काला के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 364, 302/34, 201 को युक्तियुक्त रूप से एवं संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः संदेह का लाभ प्राप्त करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण आकाश, मनोज व संजीव उर्फ काला को सत्र परीक्षण संख्या 365/2022, मु०अ०सं० 1081/2021, अन्तर्गत धारा 364, 302/34,201 भा०दं०सं० के दण्डनीय आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त संजीव जमानत पर है। अतः उसका व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किया जाता है तथा उसके जमानतियों को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण आकाश व मनोज कारागार में निरूद्ध हैं। अतः नियमानुसार अभियुक्तगण का रिहाई आदेश जारी किया जाए।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए दं०प्र०सं० का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त संजीव को आदेशित किया जाता है कि वह एक सप्ताह के अन्दर नवीन जमानत बंधपत्र व मुचलका दाखिल करना सुनिश्चित करे जो निर्णय तिथि से आगामी 06 माह तक वैध व प्रभावी रहेंगे।

अभियुक्तगण संजीव व मनोज को आदेशित किया जाता है कि कारागार से रिहा होने के एक सप्ताह के अन्दर धारा 437ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में नवीन जमानतनामें व बंधपत्र दाखिल करना सुनिश्चित करें जो निर्णय तिथि से आगामी 06 माह तक वैध व प्रभावी रहेंगे।

दिनांक 19/05/2025

(श्रीमती मीनू शर्मा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बागपत।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित कर सुनाया गया।

दिनांक 19/05/2025

(श्रीमती मीनू शर्मा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बागपत।